बिहार सरकार

<u>भवन निर्माण विभाग</u>

पत्रांक :– 2301 (ग)

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
सभी मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांकः– 10/3/26

विषयः– **जिलों में अवस्थित सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के विभिन्न भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन प्रमंडलों हेतु निर्धारित कुर्सी क्षेत्रफल के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के जिलों में अवस्थित आवासीयं एवं गैर आवासीय भवनों को शामिल किया गया है तथा कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर उक्त भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य हेतु प्रतिवर्ष राशि आवंटित की जाती है।

आप अवगत हैं कि सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के अतिरिक्त किसी भवनों में नव निर्माण कार्य अथवा विशेष मरम्मति कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव दिया जाना है, परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिला पदाधिकारी या अन्य पदाधिकरियों के आवास अथवा कार्यालय के सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के लिए भी प्राक्कलन गठित कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिए सचिव महोदय के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया जा रहा है। इससे एक ही कार्य का दोहरीकरण एवं वित्तीय अनियमितता की संभावना बनती है, जो कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल भवनों में नव निर्माण कार्य अथवा विशेष मरम्मति कार्य से संबंधित प्राक्कलन ही प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने का प्रस्ताव दिया जाय। इस निदेश का अनुपालन कठोरता से करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

10/3/26

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 2301 (ग) **पटना, दिनांकः–** 10/3/26

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/26

सरकार के अपर सचिव।